कार्यालय – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण कक्ष) मध्यप्रदेश,

सतपुड़ा भवन ,भू–तल भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/ 1127 भोपाल : दिनांक 23/7/02

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,

क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी,

मध्यप्रदेश ।

विषय :–वन अपराधों में जप्त किये गये वाहनों के प्रकरणों में अनियमितता बरतने बाबत।

शायद आप लोगों को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वन अपराधों को नियंत्रित करने के लिये अपराधों में उपयोग किये गये वाहनों के राजसात करने का प्रावधान क्यों किया गया है । क्षेत्रीय अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वन अपराधों में उपयोग किये गये वाहनों को राजसात कर अपराधियों में भय पैदा किया जाय। किन्तु देखने में आ रहा है कि लगभग सभी वृत्तों में वाहनों को मात्र 500/– वसूल कर मुक्त किया जा रहा है एवं प्रकरण प्रशमन किया जा रहा है । वन अपराधों के प्रशमन से संबंधित प्रावधानों में यह स्पष्ट है कि वन अपराध में उपयोग किये गये उपकरण, वाहन इत्यादि को यदि मुक्त किया जाता है तो उनकी कीमत वसूलने के उपरान्त ही ऐसा किया जा सकता है । जप्त किये गये वाहनों को बिना कीमत वसूले मुक्त किये जाने से जहॉ शासन को राजस्व की हानि होती है वहीं अपराधियों के मन में कानून का भय भी समाप्त होता है एवं ऐसे कृत्यों में भ्रष्टाचार की बू आती है । अनेकों प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारियों / प्रशमनकर्ता अधिकारियों व्दारा अपराधियों से 1000/– ,2000/– ,5000/– इत्यादि " जुर्माना " वसूल किया जाता है जबकि विभाग को जुर्माना करने की शक्ति ही नहीं है एवं मुआवजा की सीमा भी 500/– (भा0व0अ0) या 1000/– (म0प्र0 वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम)की है। इस प्रकार मुआवजा ,महसूल या जप्त वाहन, औजार आदि की कीमत के अतिरिक्त कुछ भी वसूल किया जाना नियम विरुध्द है। जप्त किये गये वाहना क प्रकरणा के निराकरण के संबध में इस कार्यालय के पत्र कमॉक 3132 दिनांक 3 -11–2001 व्दारा विस्तृत निर्देश दिये गये हैं किन्तु इससे भी वस्तुस्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा है । वन संरक्षकों को स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने की शक्ति का उपयोग भी कहीं नहीं किया जा रहा है ।

आप लोगों को एक बार पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप प्रत्येक माह जप्त किये गये वाहनों से संबंधित प्रकरणों की स्वतः समीक्षा करें एवं प्रकरणों का निराकरण वैधानिक तरीके से किया जा रहा है यह सुनिश्चित करें । सर्व प्रथम कृपया पिछले एक वर्ष में जप्त किये गये सभी वाहनों के प्रकरणों की समीक्षा करते हुये जिन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी व्दारा अपराधिगों को अनावश्यक लाभ दिया गया स्पष्ट होता है उनके विरुध्द अनुशारानात्मक कार्यवाही प्रस्तावित करें ।

यदि अभी भी स्थिति में सुधार नहीं होता है तो वन संरक्षकों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जा सकता है ।

मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण)
मध्यप्रदेश
22/7